



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 774) पटना, बुधवार, 15 जुलाई 2026

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2026

सं० 15/एम 1-117/2022-962—बिहार राज्यान्तर्गत औरंगाबाद में निजी क्षेत्र में सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय सीतयोग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जी-1, कुंती विला अपार्टमेंट, (पूनम गैस गोदाम के नजदीक) अंबेदकर पथ, खाजपुरा, पटना-14 से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1233 दिनांक 16.03.2024 द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत सीतयोग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जी-1, कुंती विला अपार्टमेंट, (पूनम गैस गोदाम के नजदीक) अंबेदकर पथ, खाजपुरा, पटना-14 को बिहार राज्य के औरंगाबाद में निजी क्षेत्र में सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह विश्वविद्यालय "सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार" के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

यह विश्वविद्यालय बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संचालित होगा एवं इस संदर्भ में कोई विसंगति प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति वापस ले ली जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 774-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>